

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी, जयपुर (राजमेस)

गोविन्द मार्ग, जनता कॉलोनी, चिकित्सा शिक्षा भवन, जयपुर

(राजस्थान सरकार द्वारा गठित)

(राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत)

क्रमांक:- F1(46)RajMES/Estt./Faculty/Recruitment/2021/ 4904

दिनांक 13.01.22

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 4734 दिनांक 31.12.2021 के द्वारा राजमेस के अधीन संचालित मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न पदों पर चिकित्सक शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान की गयी है। निर्धारित कार्यग्रहण अवधि 15 दिवस में कार्यग्रहण नहीं करने वाले समस्त चिकित्सक शिक्षकों को कार्यग्रहण अवधि में दिनांक 31.01.2022 तक अभिवृद्धि प्रदान की जाती है।

EBK

निदेशक

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी
जयपुर

क्रमांक:- F1(46)RajMES/ Estt./Faculty/Recruitment/2021/ 4904

दिनांक 13/01/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उपाध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
3. अति. निदेशक (प्रशासन), राजमेस, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज भरतपुर/भीलवाड़ा/पाली/चूरू/डूंगरपुर/बाड़मेर/सीकर।
5. वित्तीय सलाहकार, राजमेस, जयपुर।
6. सम्बन्धित अभ्यर्थी को द्वारा ई-मेल से।
7. नोडल अधिकारी, वेबसाईट को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
8. रक्षित पत्रावली।


निदेशक

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी
जयपुर